<table>
<tr><th>आदेश की तिथि</th><th>हस्ताक्षरयुक्त आदेश</th><th>कार्यालय अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>30-05-2023
08/06/23</td><td>
<u>वाद सं0—28 / 2023</u>

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती पदमावती मंडल, पति—श्री अजीत मंडल एवं अन्य, ग्राम—बेनागड़िया, पं0—पांजनियाँ, वार्ड—01, प्र0+थाना— नाला, जिला—जामताड़ा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित।
आज के सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा का कहना है कि शिकायतकर्ता श्रीमती श्रीमती पदमावती मंडल राशन डीलर से अनाज खुद उठाव नहीं कर रही हैं। जबकी उन्होंने राशन डीलर द्वारा 2 से 3 कि0ग्रा0 कम राशन देने की बात आयोग को प्रेषित शिकायतपत्र में की है। आयोग के पास शिकायतकर्ता का मोबाईल नं0 उपलब्ध नहीं है। अतः आयोग कार्यालय को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता के पते पर आयोग के आदेश की प्रति भेजते हुए। शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने को कहा जाय की आखिर वो 14 महिने से राशन का उठाव डीलर से क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बीच जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि ग्रामिणों की मदद से संपर्क कर उनकी समस्या को समझें और समाधान की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई करें। ~~आयोग के आदेश के अनुपालन पर सुनवाई 15.06.2023 को निर्धारित की जाती है~~।
मामले की अगली सुनवाई दिनांक—15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक—15.06.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।
</td><td></td></tr>
</table>

D:\Premlata\Court.docx35